ईमेल / डाक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक :एफ.3(3)(1)रोल / निर्वा / 2015 / 188 दिनांक 12 जनवरी 2016

प्रेषकः **मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः **समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) ,**
राजस्थान।

विषयः **मतदाता सूचियों के पूरक–06 के कम्प्यूटराईज डाटा बैकअप के सम्बन्ध में।**

संदर्भः **इस विभाग का ई–मेल दिनांक 11.01.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशानुसार दिनांक 11 जनवरी 2016 को राज्य की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूची 2016 का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसी के साथ राज्य के सभी 45334 मतदान केन्द्रों की भागवार फोटोरहित मतदाता सूची – 2016 विभाग की वेबसाइट पर आमजन के अवलोकनार्थ प्रकाशित की जा चुकी है।

इसी क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा आमजन की सुविधा के लिये विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही मतदाता सर्च सुविधा, एस.एम.एस. के माध्यम से मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि ज्ञात करने की सुविधा एवं विभाग के मोबाइल एप राज–इलेक्शन की सुविधाओं को आदिनांक करने हेतु विभाग को आपके द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2016 को प्रकाशित मतदाता सूची के पूरक–06 का अन्तिम कम्प्यूटराईज डाटा बैकअप की आवश्यकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने भी राज्य की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के कम्प्यूटराईज डाटाबैक को अपनी बेवसाइट पर अपडेट करने हेतु चाहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के पूरक–06 का कम्प्यूटराईज डाटा बैकअप की edetail5 table in MS-SQL database फोर्मट में इस विभाग को एवं **विभागीय एस.एल.ए. मैसर्स रील को दिनांक 20 जनवरी 2016 तक आवश्यक रूप से आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करावें**। कृपया विभाग को उक्त डाटा आपूर्ति से पूर्व यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करा ले कि पूरक–06 में जिन मतदाताओं ने अपने आवेदन के साथ स्वयं की फोटो दी है, वह फर्म द्वारा स्कैन कर कम्प्यूटराईज डाटा बैकअप में बाईनरी फोर्मट में स्टोर कर दी गई है एवं ऐसे सभी मतदाताओं को मैसर्स रील द्वारा उपलब्ध कराये गये मानक सोफ्टवेयर से मतदाता फोटो पहचान पत्र क्रमांक जारी कर दिये गये है।

कृपया उक्त निर्देशों को अपने जिले के सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों एवं अनुबन्धित फर्म के ध्यान में लाया जाकर, इन निर्देशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करावें।

**(राजेश यादव)**
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी